न्यायालय उपखण्डअधिकारी, चौथकाबरवाड़ा

मु0न0:—04 / 2025 तारीख रजू:—07.02.2025

जी0सी0एम0एस0नंबर:—2025 / 12

पीठासीन अधिकारी :—दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

1. नाथूलाल पुत्र रामलाल बैरवा निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाईमाधोपुर।
2. सत्यनारायणपुत्र रामलाल बैरवा निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाईमाधोपुर।
3. कमला पुत्री रामलाल बैरवा निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाईमाधोपुर।
4. गीतापुत्री रामलाल बैरवा निवासी डिडाय, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाईमाधोपुर।
5. मीरा पुत्री रामलाल बैरवा निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाईमाधोपुर।
6. सम्पत पुत्री रामलाल बैरवा निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाईमाधोपुर।
7. गीता पुत्री बाबूलाल बैरवा, निवासी बडागॉव सरवर, तहसील बौंली, जिला सवाईमाधोपुर।
8. गुड्डी पुत्री बाबूलाल बैरवा, निवासी बडागॉव सरवर, तहसील बौंली, जिला सवाईमाधोपुर।
9. हेमराज पुत्र बाबूलाल बैरवा, निवासी बडागॉव सरवर, तहसील बौंली, जिला सवाईमाधोपुर।
10. राजकुमार पुत्र बाबूलाल बैरवा, निवासी बडागॉव सरवर, तहसील बौंली, जिला सवाईमाधोपुर।
11. भानू प्रकाश महावर पुत्र नाथूलाल महावर निवासी 1182 / 128, सेक्टर 18, कुम्भामार्ग, प्रतापनगर, जयपुर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा, जिला सवाईमाधोपुर

—अप्रार्थी

उपस्थित::—

प्रार्थीगण वकील:—श्री सुधीर कुमार जैन, एडवोकेट

अप्रार्थीवकील:—पैरोकार सरकार

Signature Not Verified

दिनांक:—13.05.2025

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.14 10:57:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा136 एल0 आर0 एक्ट

—: निर्णय :—

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि—

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

❖ खाता संख्या 500 ग्राम डिडायच तहसील चौथ का बरवाडा में आराजी खसरा नम्बर 409 रकबा 2.4900 हैक्टेयर किस्म बारानी 2 स्थित है इस भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है।

❖ प्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के पिता का वास्तविक नाम रामलाल पुत्र लखमा बैरवा है। रामलाल को ग्राम डिडायच में 15 बीघा भूमि खसरा नम्बर 79/2 आंवटित हुई थी। जिसका नामान्तरणकरण संख्या 492 गैर खातेदारी का दिनांक 14.12.1985 को तस्दीक हुआ था। उसके पश्चात रामलाल की मृत्यु होने पर नामान्तरण संख्या 101 रामलाल के वारिसान नाथू लाला (प्राथी संख्या 1) सत्यनारायण (प्राथी संख्या 2) व रामलाल की बेवा पत्नी के नाम तस्दीक दिनांक 02.06.2000 को गैर खातेदारी का स्वीकार हुआ था।

सत्यमेव जयते चौथ का बरवाडा

दिनांक 19.05.2004 को प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के नाम नामान्तरणकरण संख्या 46 विरासत का खातेदारी का स्वीकार हुआ था। सभी दस्तावेजों में रामलाल का नाम अंकित है।

❖ साबिक खसरा नम्बर 79/2 रकबा 15 बीघा का सेटलमेंट के बाद नवीन खसरा नम्बर 392 रकबा 1.3000 किस्म बारानी 2 खसरा नम्बर 409 रकबा 2.4900 किस्म बारानी 2 बने है। आधार वर्ष सवंत् 2058 की जमाबंदी बनाते समय नामान्तकरण संख्या 46 के कालम नम्बर 7 व 9 का ध्यानपूर्वक अवलोकन नहीं किया जिसमें नाथूलाल, सत्यनारायाण पिता रामलाल बैरवा व पत्नी बैवा रामलाल लिखा हुआ था और सहवन से खातेदार के कालम में रामलाल के स्थान में रामपाल लिख दिया गया लकिन नोट साफ यह लिखा है कि मृतक रामलाल के बजाय नाथूलाल, सत्यनारायण पिता रामलाल बैरवा मु. पत्नी बैवा रामलाल के हक में विरासत स्वीकार है सा.देह खातेदार यह नामान्तकरण संख्या 101 विरासत में दिनांक 02.06.2000 में अंकित है।

❖ रामलाल के स्थान पर रामपाल अंकित हो जाने से अंतिम चौसाला आधार संवत् 2073 से 2076 (वर्ष 2019) में प्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के पिता का नाम रामपाल दर्ज हो गया प्रार्थी संख्या 10 का नाम राजकुमार के स्थान पर राजू अंकित हो गया है। जिसको शुद्व करके राजकुमार पुत्र बाबूलाल जाति बैरवा निवासी बडागॉव सरवर तहसील बौंली किया जाना न्यायसंगत है। साक्ष्य में आधार की फोटो प्रति संलग्न है।

❖ प्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 मृतक रामलाल की पुत्रिया है इनके अलावा एक पुत्री और थी जिसका नाम बदाम था उसके पति का नाम बाबूलाल है बदाम की मृत्यु हो जाने से उसकी पुत्रियॉ गीता, गुड्डी, पुत्र [illegible] के नाम जमीन खातेदारी में लगी है अर्थात ये सब मृतक रामलाल के दाि[illegible] दाहि[illegible] है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है [illegible] खाता संख्या 500 ग्राम डिडायच पटवार हल्का डिडायच भू.अ.नि. क्षेत्र पावडेरा, तहसील चौथ का बरवाडा के काश्तकार के कालम में रामपाल के स्थान पर शुद्वि करके रामलाल तथ[illegible] राजू के स्थान पर राजकुमार पुत्र बाबूलाल बैरवा निवासी बडागॉव सरवर तहसील बौंली दर्ज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.14 10:47:49 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थी जारी किये गये।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

3. तहसीलदार, चौथ का बरवाडा ने उनवानी प्रकरण में अपने पत्रांक भू0अ0 / 2025 / 383 दिनांक 24.03.2025 द्वारा रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाई है , जो निम्नानुसार है–

- प्रार्थी 01 लगायत 6 के पिता रामलाल पुत्र लखमा को ग्राम डिडायच के खसरा नम्बर 79 / 2 रकबा 15 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था जिसका नामा0 संख्या 492 दिनांक 14.12.1985 को स्वीकार होकर राजस्व रिकार्ड में रामलाल पुत्र लखमा जाति बैरवा गैर खातेदार के रूप में अमल हुआ। तत्पश्चात रामलाल की मृत्यु होने पर नामा0 संख्या 101 निर्णय दिनांक 02.06.2000 द्वारा उसके वारिसान नाथूलाल, सत्यनारायण, पि0 रामलाल, मु0 पन्नी बेवा रामलाल के नाम स्वीकार हुआ जिसका जमाबंदी संवत् 2042–45 में अंकन है।

- नामा0 संख्या 46 निर्णय दिनांक 19.05.2004 द्वारा गैर खातेदारी से खातेदार का राजस्व रिकार्ड में अमल हुआ।

- मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 79 / 2 रकबा 15 बीघा के हाल खसरा नम्बर 392 रकबा 1.30 है0, 409 रकबा 2.49 है0 बने है। जमाबन्दी संवत् 2058 आधार वर्ष के खाता संख्या 381 में उक्त खसरा नम्बर रामपाल पुत्र लखमा बैरवा निवासी डिडायच गैर खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड मैं दर्ज में। उक्त खाते में नामा0 संख्या 101 दिनांक 02.06.2000 से मृतक रामलाल के बजाय नाथूलाल सत्यनारायण पि0 रामलाल बैरवा, मु0 पन्नी बेवा रामपाल के हक में विरासत स्वीकार है तथा नामा0 संख्या 46 खातेदारी दिनांक 19.05.2004 के द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी स्वीकार हुई का नोट अंकित है।

- जमाबंदी संवत् 2073 –76 में खसरा नम्बर 409 एवं 392 में प्रार्थीगण 01 लगायत 06 के पिता का नाम रामपाल दर्ज है तथा प्रार्थी संख्या 10 का नाम राजू पुत्र बाबूलाल दर्ज है।

- पन्नी बेवा रामपाल के फोत हो जाने पर उसके वारिसान नाथूलाल, सत्यनारायण पि0 रामपाल, कमला, गीता, मीरा, सम्पत पुत्रियॉं रामपाल, राजू , हेमराज पि. बाबूलाल, गुड्डी, गीता पुत्रियॉं बाबूलाल के नाम नामा. संख्या 1055 दिनांक 05.12. 2024 से राजस्व रिकार्ड में अमल हुआ है।

4. बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। प्राथी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का दोहरान किया।

5. मैंने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया रामलाल को [illegible] में 15 बीघा भूमि खसरा नम्बर 79 / 2 आंवटित हुई थी। जिसका नामान्तरकरण संख्या 492 गैर खातेदारी का दिनांक 14.12.1985 को सही तस्दीक हुआ [illegible] उसके पश्चात् रामलाल की मृत्यु उपरांत उसके वारिसान के नाम खोले गये नामान्तरकरण संख्या 101, तस्दीक दिनांक 02.06.2000 व गैर खातेदारी से खातेदारी हेतु खोले गये नामान्तरकरण संख्या 46 तस्दीक दिनांक 19.05.2004 के दौरान रामपाल दर्ज हो गया है। अतः रामपाल को रामलाल शुद्ध किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.14 10:57:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

6. इसी प्रकार राजकुमार पुत्र बाबूलाल बैरवा द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, जन–आधार कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड के अनुसार प्रार्थी संख्या 10 का नाम राजकुमार पुत्र बाबूलाल होने की पुष्टि होती है। अतः राजू पुत्र बाबुलाल के स्थान पर रामकुमार पुत्र बाबूलाल बैरवा शुद्ध किया जाना उचित है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 के पिता का नाम रामपाल के स्थान पर रामलाल एवं प्रार्थी संख्या 10 का नाम राजू पुत्र बाबुलाल के स्थान पर राजकुमार पुत्र बाबूलाल बैरवा किया जाना उचित है।

–ःआदेशः–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि वे ग्राम डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा की स्थायी जमाबंदी दिनांक 27.02.2025 के खाता संख्या 500 में प्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 के पिता का नाम रामपाल के स्थान पर रामलाल तथा प्रार्थी संख्या 10 का नाम राजू के स्थान पर राजकुमार पुत्र बाबूलाल बैरवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल करें। निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.14 10:57:49 IST
Reason: SelfAttested